

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र

क्रमांक ११/१९६५-६६

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा समिति, जयपुर जिला जयपुर का पंजीयन, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९५८ § राजस्थान अधिनियम न० २८, १९५८ § के अन्तर्गत दिनांक वोइस दिसम्बर, सन् उन्नीस सो पैसठ को किया गया था ।

अब संस्था का नाम श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा समिति, जयपुर से श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सुबोध शिक्षा समिति, जयपुर परिवर्तित कर दिया गया है ।

यह परिवर्तन राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९५८ की धारा १२ के अन्तर्गत आज दिनांक चार ^{फरवरी} जनवरी, उन्नीस सो बयासी को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय सील से जयपुर में किया गया ।



के० सी० भार्गव
§ के० सी० भार्गव §
रजिस्ट्रार § संस्थायें §
राजस्थान, जयपुर